Division Bench

1 5

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR
CHHATTISGARH

WRIT PETITON (C) No. 375 / 2013

PETITIONER — Amar Infrastructure Ltd., Mahesh Nagar, Durg, District Durg (C.G.) Through its partner Mahendra Rathi, S/o Manak Lal Ji Rathi, aged about 43 years, Mahesh Nagar, P.S. Durg, District Durg (C.G.)

R No. 375/13
Presented by Shri. Sawo
Dated 14-3-13

Versus

RESPONDENTS

1. State of Chhattisgarh through: Secretary, Department of Public Works, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur (C.G.)

2. Engineering-in-Chief, Department of Public Works, Raipur (C.G.)

3. Chief Engineer, Public Works Department, Raipur (C.G.)

4. Superintending Engineer, Public Works Department, Raipur (C.G.)

5. Executive Engineer, Public Works Department, Durg, District Durg (C.G.)

6. Sub Divisional Officer, Public Works Department, Sub Division Bemetara, District Bemetara (C.G.)

7. M/s S.K. Chhabda, Raipur Road, Punjabi Colony, P.S. Bemetara, District Bemetara (C.G.)

OATH COMMISSIONER S.R. Kaushik BILASPUR TAHSIL AREA

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

That the petitioner most respectfully begs to submit as under :-

1. PARTICULAR OF THE PETITIONER

As mentioned above in the cause title.

... shall submit the

55

**छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०)**
**युगल पीठ**

युगल पीठ — माननीय मुख्य न्यायामूर्ति श्री यतीन्द्र सिंह
माननीय न्यायामूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

**रिट याचिका (सिविल) क्र०- ३७५/२०१३**

याचिकाकर्ता पक्ष- मेसर्स अमर इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी पक्ष- छत्तीसगढ़ शासन व अन्य

रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद २२६/२२७ भारतीय संविधान

उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती रेणू कोचर,अधिवक्ता। उत्तरवादीगण क्र०-१ लगायत ६/शासन की ओर से श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

**आदेश**
(२२ मार्च २०१३)

१. याचिकाकर्ता द्वारा, इस याचिका से पूर्व याचिका संख्या २६३/२०१३ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो दिनांक-०१.०३.२०१३ को इस न्यायालय द्वारा यह कहते हुए निर्णीत कर दी गई कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी पक्ष के समक्ष एक प्रत्यावेदन दाखिल करे, जिसमें उत्तरवादी पक्ष एक माह के अन्दर उक्त प्रत्यावेदन को निर्णीत कर याचिकाकर्ता को सूचित करेगें।

२. याचिकाकर्ता ने उसके प्रत्यावेदन पर कोई आज्ञा पारित होने के पहले, यह दूसरी याचिका प्रस्तुत की है।

३. हमनें, उभयपक्ष अधिवक्ताओ को सुना।

४. याचिकाकर्ता के कथनानुसार उसने अपना प्रत्यावेदन दिनांक १२.०३.२०१३ को दाखिल किया है। उक्त प्रत्यावेदन को दाखिल किये हुए एक माह का समय व्यतीत नहीं हुआ है और न ही इस प्रत्यावेदन पर, उत्तरवादी पक्ष द्वारा कोई आज्ञा पारित की गई है, इससे पूर्व ही याचिकाकर्ता द्वारा यह दूसरी याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

५. हमारे विचार से, यदि उत्तरवादी पक्ष पूर्व याचिका में पारित आज्ञा दिनांक ०१.०३.२०१३ का पालन नहीं करता है, तब याचिकाकर्ता को हमेशा यह अधिकार प्राप्त है कि वह उत्तरवादी पक्ष के विरूद्ध अवमानना की याचिका दायर कर सकता है और उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि उसका प्रत्यावेदन निर्णीत हो जाता है और उससे याचिकाकर्ता क्षुब्ध होता है तो वह एक नई याचिका प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु इस स्तर पर यह याचिका पोषणीय नहीं है।

६. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

**Sd/-**
**Chief Justice**

**Sd/-**
**Pritinker Diwakar**
**Judge**

मधुलिका